उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 479/2026
प्रिया कुमारी बनाम् बिहार राज्य

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 479/2026
बरियारपुर थाना कांड संख्या–169/2023

---

1. प्रिया कुमारी.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से – **श्री उमेश मंडल, विद्वान अधिवक्ता।**

विपक्षी/सरकार की ओर से – **श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।**

04.06.2026 आवेदिका **प्रिया कुमारी** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदिका निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदिका इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदिका पर प्राथमिकी की धाराओं का आरोप नहीं बनता है। घटना दिनांक 06.04.2023 की है, जबकि परिवाद पत्र दिनांक 21.06.2023 को दाखिल किया गया है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। सूचिका तथा उसकी पुत्री हमेशा आवेदिका दहेज की मांग करती थी, जिसे आवेदिका के द्वारा पूरा नहीं किया गया। मृतक की मृत्यु आवेदिका की ननद के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत की गयी है। आवेदिका बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदिका को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदिका के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचिका शंकुतला देवी के आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 06.04.2023 को समय 01:30 बजे दोपहर में सूचिका खाना खाने के लिए अपने पुत्र पुष्प राज उर्फ राजा कुमार को बुलाने कमरे में गयी। काफी देर आवाज देने पर कमरा नहीं खुला, तो आस–पड़ोस को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया, तो देखा कि पुष्पराज उर्फ राजा कुमार फांसी के फंदे पर लटका है। इसकी सूचना सूचिका की बहू प्रिया

उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 479/2026
प्रिया कुमारी बनाम् बिहार राज्य

लगातार

04.06.2026. कुमारी को दी गयी। दिनांक 09.04.2023 को सूचिका की पुत्री सीमा कुमारी को मृतक के कमरे से सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा कि मेरे मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रिया है, माई लव प्रिया। प्रिया तथा पुष्पराज के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। प्रिया कुमारी सचिन के साथ विवाह रना चाहती थी, परंतु उसकी मां सरस्वती के द्वारा षडयंत्र के तहत विवाह करवा दिया गया। प्रिया अपने पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाती रही। प्रिया का सचिन के साथ अनैतिक संबंध रहने के कारण मृतक ने कई बार मोबाइल छीन लिया। इस संबंध में पंचायत भी हुआ। बावजूद इसके प्रिया कुमारी अपना आचरण नहीं सुधारी। मृतक दुष्प्रेरणा से ग्रसित होकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूचिका के आवेदन के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 306, 120B, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदिका पर सूचिका के पुत्र पुष्पराज उर्फ राजा कुमार को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के विभिन्न पैराओं में साक्षियों ने घटना का समर्थन तो किया है, परंतु सभी साक्षियों ने आवेदिका के दुष्चरित्र के बारे में बात कही है तथा सुनी–सुनाई बात का कथन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका पर मृतक को आत्महत्या के लिए उसकाने का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। परिवाद पत्र के अनुसार घटना दिनांक 06.04.2023 की है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 29.09.2023 को दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदिका **प्रिया कुमारी** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदिका के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
04.06.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
04.06.2026.